न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा (बुलन्दशहर)।
सत्र वाद संख्या- 58/2025
सरकार बनाम शिवांग आदि।

<u>आरोप</u>

मैं दिलीप कुमार सचान, अपर सत्र न्यायाधीश खुर्जा (बुलन्दशहर) आप अभियुक्तगण कपिल व अंकित पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूँः-

01. यह कि दिनांक 30.09.2020 को समय 21:30 बजे स्थान अम्बेडकर मूर्ति के पास अन्तर्गत क्षेत्र कस्बा व थाना पहासू जिला बुलन्दशहर में आप अभियुक्तगण ने एक साथ मिलकर विधि विरूद्ध संगठन बनाया, जिसका उद्देश्य बलवा करना था। इस प्रकार आपने भा०दं०सं० की **धारा 147** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

02. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने एक साथ मिलकर वादी के साथ मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की। इस प्रकार आपने भा०दं०सं० की **धारा 323** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

03. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने जान से मारने की नीयत से वादी पर हमला किया, आपने उक्त कार्य ऐसे आशय, ज्ञान एवं परिस्थितियों में किया गया कि यदि आपके द्वारा की गयी उपहति से उनकी मृत्यु हो जाती तो आप उसकी हत्या के दोषी होते। इस प्रकार आपने भा0 दं0 सं0 की धारा **307** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है

04. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी को गाली-गलौंच कर शान्तिभंग की। इस प्रकार आपने भा०दं०सं० की **धारा 504** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप मे आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(दिलीप कुमार सचान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा(बुलन्दशहर)

दिनांकः 21.08.2025

आरोप पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया जिससे उन्होंने इंकार किया व विचारण की मांग की।

(दिलीप कुमार सचान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा(बुलन्दशहर)

दिनांकः 21.08.2025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा (बुलन्दशहर)।
सत्र वाद संख्या- 58/2025
सरकार बनाम शिवांग आदि।

<u>आरोप</u>

मैं दिलीप कुमार सचान, अपर सत्र न्यायाधीश खुर्जा (बुलन्दशहर) आप अभियुक्तगण शिवांग, शिवम ठाकुर उर्फ शुभम रावत व ललित प्रताप पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूँः

01. यह कि दिनांक 30.09.2020 को समय 21:30 बजे स्थान अम्बेडकर मूर्ति के पास अन्तर्गत क्षेत्र कस्बा व थाना पहासू जिला बुलन्दशहर में आप अभियुक्तगण ने एक साथ मिलकर विधि विरूद्ध संगठन बनाया, जिसका उद्देश्य बलवा करना था। इस प्रकार आपने भा०दं०सं० की धारा **147** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

02. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने एक साथ मिलकर वादी के साथ मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की। इस प्रकार आपने भा०दं०सं० की **धारा 323** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

03. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी को गाली-गलौंच कर शान्तिभंग की। इस प्रकार आपने भा०दं०सं० की धारा **504** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप मे आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(दिलीप कुमार सचान)
दिनांकः 21.08.2025 **अपर सत्र न्यायाधीश,**
खुर्जा(बुलन्दशहर)

आरोप पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया जिससे उन्होंने इंकार किया व विचारण की मांग की।

(दिलीप कुमार सचान)
दिनांकः 21.08.2025 **अपर सत्र न्यायाधीश,**
खुर्जा(बुलन्दशहर)

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश खुर्जा, जिला बुलन्दशहर।
सत्र वाद संख्या- 58/2025
राज्य----------बनाम--------- शिवांग आदि।

मु०अ०सं०: 321 सन् 2020
धारा : 147, 323, 307, 504 भा०दं०सं०।
थाना : पहासू जिला बुलन्दशहर।

आदेश

मुकदमा पेश हुआ। अभियुक्तगण कपिल व अंकित उपस्थित है।

मैंने आरोप के बिन्दु पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए यह भी बताया कि वह अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्थापना करते है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से मेरी राय में अभियुक्तगण कपिल व अंकित पर आरोप जुर्म अन्तर्गत धारा 147, 323, 307, 504 भा०दं०सं० का आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार अभियुक्तगण कपिल व अंकित पर आरोप जुर्म अन्तर्गत धारा 147, 323, 307, 504 भा०दं०सं० का आरोप पृथक प्रपत्र पर विरचित किया गया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 16.09.2025 को पेश हो। अभियोजन प्रस्तावित साक्षियों की सूची पेश करें।

(दिलीप कुमार सचान)
दिनांकः 21.08.2025 **अपर सत्र न्यायाधीश,**
खुर्जा(बुलन्दशहर)

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश खुर्जा, जिला बुलन्दशहर।
सत्र वाद संख्या- 58/2025
राज्य----------बनाम--------- शिवांग आदि।

मु०अ०सं०: 321 सन् 2020
धारा : 147, 323, 504 भा०दं०सं०।
थाना : पहासू जिला बुलन्दशहर।

आदेश

मुकदमा पेश हुआ। अभियुक्तगण शिवांग, शिवम ठाकुर उर्फ शुभम रावत व ललित प्रताप उपस्थित है।

मैंने आरोप के बिन्दु पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए यह भी बताया कि वह अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्थापना करते है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से मेरी राय में अभियुक्तगण शिवांग, शिवम ठाकुर उर्फ शुभम रावत व ललित प्रताप पर आरोप जुर्म अन्तर्गत धारा 147, 323, 504 भा०दं०सं० का आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार अभियुक्तगण शिवांग, शिवम ठाकुर उर्फ शुभम रावत व ललित प्रताप पर आरोप जुर्म अन्तर्गत धारा 147, 323, 504 भा०दं०सं० का आरोप पृथक प्रपत्र पर विरचित किया गया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 16.09.2025 को पेश हो। अभियोजन प्रस्तावित साक्षियों की सूची पेश करें।

(दिलीप कुमार सचान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा(बुलन्दशहर)

दिनांकः 21.08.2025

Digitally signed by DILIP KUMAR SACHAN
Date: 2025.08.22 12:36:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court